फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम – गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर बनाम गंगापुर सिटी

कैलाश रामसहाय वगैरा नं० .... सन्‌........

दावा 51/ 2016

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.6.2016 यह दावा वादी कैलाश पुत्र हजारी, माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वकील वादी को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 28.6.2016 को पेश हो।	
28-6-16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ़ पर पेश हुई। पक्षकार वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारान तहसीलदार जी के यहां विवादित भूमि का विभाजन करवा लेंगे। यदि पक्षकारों के मध्य तहसीलदारजी के यहां सहमति से विभाजन नही होता है तो नया दावा पेश करने की छूट देते हुए वादी को अपना दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वाद निर्णित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	on 7/12/1
(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	नि. रामसहाय

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ
पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा बाबत विभाजन, घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 51/2016

वादी की ओर से वादी कैलाश व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रामसहाय की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 28.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार पक्षकारान आपस मे सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ कराने हेतु सहमत है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है तथा सहमति से विभाजन नही होने की स्थिति मे वादी को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 28.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 दावे के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उनवान

कैलाश पुत्र हजारी माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी

बनाम

1. सम्पत पुत्र हजारी माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
2. प्यारेलाल पुत्र हजारी माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
3. मूडी पुत्री हजारी पत्नी मदनलाल माली निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. उगन्ती पुत्री हजारी पत्नी रामखिलाडी माली निवासी तलावाडा तह0 गंगापुर सिटी
5. रामेश्वरी पुत्री हजारी पत्नी रूपनारायण माली निवासी तलावडा तह0 गंगापुर सिटी
6. रामसहाय पुत्र सूक्या माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
7. भौती बेबा पून्या माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
8. हरसहाय पुत्र रतन्या माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
9. गोपाल पुत्र रतन्या माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
10. राजाराम पुत्र मट्टू माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
11. मुकेश पुत्र मट्टू माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
12. सुनीता पुत्री मट्टू माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
13. लाली पुत्री मट्टू माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
14. मंगली पत्नी मट्टू माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
15. प्रभू पुत्र पून्या माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
16. प्रहलाद पुत्र पून्या माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
17. भरतू पुत्र पून्या माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
18. लेंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
19. शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन, घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा